उपशा जी - IInd yr 2020 अर्थशास्त्र

भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व

भारत एक अर्द्धविकसित देश है एवं देशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इसके आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य प्राप्ति के लिये देश में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। भारत में निम्नलिखित कारणों से आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है:—

① साधनों का समुचित उपयोग:— हम जानते हैं कि भारत में प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों की कमी नहीं है, लेकिन इनका समुचित उपयोग नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप देश आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। देश में आर्थिक नियोजन के द्वारा साधनों का समुचित उपयोग कर आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। ② संतुलित आर्थिक विकास:— आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग का संतुलित विकास किया जाए। यह कार्य आर्थिक नियोजन के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ③ बचत एवं विनियोग में वृद्धि:— आर्थिक विकास की गति मूलतः पूँजी निर्माण पर ही निर्भर करती है और साथ-साथ पूँजी निर्माण के लिये बचत एवं विनियोग की दर में वृद्धि करना आवश्यक है। वास्तव में आर्थिक नियोजन के द्वारा ही बचत एवं विनियोग की दर में वृद्धि की जा सकती है। ④ रोजगार के अवसरों में वृद्धि:— सर्वविदित है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण किये हुए है। इस समस्या के समाधान के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक है। यह कार्य आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन प्रक्रिया को नियोजित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। ⑤ कृषि एवं उद्योग धंधों का तेजी से विकास:— भारत की कृषि पिछड़ी हुई है तथा देश में उद्योग धंधों का समुचित विकास अभी तक नहीं हो सका है। अतः देश में आर्थिक नियोजन को अपनाकर ही कृषि एवं उद्योग धंधों का तेजी से विकास किया जा सकता है। ⑥ आर्थिक स्थिरता बनाये रखना:— स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मूल्य, बचत एवं विनियोग में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने में आसानी होती है। ⑦ आर्थिक सुरक्षा:— योजनाकारों द्वारा देश में उत्पादनों के साधनों और विशेषकर श्रमिकों के शोषण को रोका जा सकता है, और उन्हें समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ⑧ आय एवं धन का न्यायोचित वितरण:— भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय एवं धन का वितरण असमान है। अतः आर्थिक नियोजन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर उत्पादित आय एवं धन का न्यायोचित वितरण किया जा सकता है। भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। योजनाकाल हमारे युग की अद्भुत खोज है। कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन आर्थिक योजना ही है॥

x

किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होनेवाली सम्पदा पर यह कर लगाया जाता है। भारत में यह कर 1953 से ही लगाया जाता है। हालांकि इस कर से भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति नहीं होती है।

(VI) उपहार कर (Gift-tax) :- भारत में मृत्युकर से बचने के लिए अधिकांश लोगों ने उपहार देना प्रारंभ कर दिया था इसलिए इस प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए Dr. Caldor के सुझावों के आधार पर एक उपहार कर (Gift-tax) लगाने का सुझाव दिया गया। भारत में यह कर 1958-59 से ही लगाया जाता है। इस कर का प्रधान उद्देश्य मृत्युकर से बचने की प्रवृत्ति को कम करना है।

(VII) संपत्ति कर (Wealth-tax) :- प्रायः यह कर सभी प्रगतिशील देशों में लगाया जाता है। इससे संपत्ति के वितरण की विषमता को कम करने में मदद मिलती है। भारत में यह कर 1957 से ही लगाया जाता है। इस प्रकार का कर एक निश्चित रकम से अधिक सम्पत्तिवाले व्यक्ति, सम्मिलित हिन्दू परिवारों तथा कंपनियों को देना पड़ता है। इस कर से भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति हो रही है।

भारत सरकार के उपर्युक्त आयों के अलावा गैर-कर संबंधी स्रोतों से भी आय की प्राप्ति होती है :- (i) ब्याज से आय :- भारत सरकार द्वारा लगाये गये धन जैसे- राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को दिये गये ऋणों पर ब्याज के रूप में भी आय प्राप्त होती है। (ii) मुद्रा एवं टकसाल :- मुद्रा एवं टकसाल से भी भारत सरकार को आयों की प्राप्ति होती है। (iii) प्रशासनिक आय :- भारत सरकार को नागरिक प्रशासन के विभिन्न कार्यों जैसे- लोक कार्य विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य प्रशासनिक स्रोतों से आय प्राप्त होती है। इसके अलावा रेलवे, पोस्टल इत्यादि विभागों से भी आय की प्राप्ति होती है।

6/12/20.

Alaqnas
[illegible]
6/12/20. शास्त्री - IInd Part -
R.K.S. College Sukhbene Purnea.

[illegible]

शास्त्री - IInd

(Revenue of the govt of India) For 2020 Exam

भारत सरकार के आय के प्रमुख साधन क्या है।

भारत सरकार के आय के साधनों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :- (1) कर संबंधी आय के साधन (Sources of Tax revenue) (2) गैर कर संबंधी आय के साधन (Main Sources of Non Tax revenue)

(1) कर संबंधी आय के साधनों को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :-

I :- आयकर (Income Tax) :- यह एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों व संयुक्त हिंदू परिवारों तथा पंजीकृत व्यवसायियों की आय पर लगाया जाता है। एक निश्चित सीमा के बाद ही आयकर (Income tax) लगता है। आय कर का एक भाग राज्य सरकारों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार आयकर का 85 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है।

(II) निगम कर :- यह भी प्रत्यक्ष कर है, जो देसी तथा विदेशी कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। इस कर से भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति होती है।

(III) आयात निर्यात शुल्क :- यह कर वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है इस प्रकार यह एक परोक्ष कर है, इस कर से भी भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति होती है।

(IV) संघीय उत्पादन शुल्क (Union Excise duties) :→ इस कर से भी भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति हो रही है। भारत सरकार लगभग 70 वस्तुओं पर संघीय उत्पादन शुल्क लगाती है। यह एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) है। जो वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादकों से वसूल किया जाता है। इस अप्रत्यक्ष कर से भी भारत सरकार को अधिक आयों की प्राप्ति हो रही है।

(V) मृत्युकर (Wealth duties) :- यह कर विश्व के सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में लगाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। वास्तव में इस कर की लगाने से संपत्ति के वितरण की विषमताओं को कम करने में मदद मिलती है। भारत में मृत्युकर को सम्पदा या जायदाद कर के रूप में लगाया जाता है ——— P.T.O.

पूर्णप्रतियोगिता की बाजार की विशेषताएं

(6) पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में किसी उद्योग में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसमें कोई एक फर्म एकाधिकार की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकेगा। (7) क्रेताओं तथा विक्रेताओं का असंगठित प्रकृति का होना चाहिए। - पूर्ण - प्रतियोगिता बाजार के अन्तर्गत क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार का विरोध भी न अथवा समझौता नहीं होना चाहिए। जिससे क्रेता सबसे कम मूल्य वाले विक्रेता के यहाँ खरीदते हैं, तथा विक्रेता अधिक मूल्य वाले क्रेता के हाथ ही वस्तु को बेचता है। अर्थात् किसी वस्तु के बाजार में पूर्णप्रतियोगिता की स्थिति रहने पर उस वस्तु का मूल्य सर्वत्र एक समान रहता है। किन्तु वास्तविक जीवन में पूर्णप्रतियोगिता की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णप्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। (So Perfect Competition is a myth.)

विदित हो कि पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में उत्पादक या फर्म की कोई नीति नहीं होती प्रत्येक फर्म मूल्य ग्रहण करनेवाली (Price taker) होती है, मूल्य निर्धारित करनेवाली (Price - Maker) नहीं होती है। प्रत्येक फर्म मूल्य को दिया हुआ मानकर उसके अनुसार वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है, अर्थात प्रत्येक फर्म "मात्रा समायोजन करने वाली" ही होती है।

x

Brajesh Pathak
Asso Prof - Eco.
R.U. S. College Sukhdena.
6/1/4/20.

शास्त्री - Ist

पूर्ण प्रतियोगिता से आप (Perfect Competition)

क्या समझते हैं :→ शास्त्री - IST For 2020 Exam

वास्तव में पूर्णप्रतियोगिता की बाजार का सार यह है कि उसमें कोई भी एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है इस बाजार में वस्तु का मूल्य एक ही होता है। श्रीमति जोन रॉबिन्सन के अनुसार "पूर्णप्रतियोगिता उस दशा में होती है, जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है, जिसका मतलब यह होता है कि इस बाजार में विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन, वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है, दूसरे सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है।" पूर्णप्रतियोगिता की बाजार के लिए निम्न बातों का होना बहुत ही जरूरी है:- ① क्रेता तथा विक्रेताओं का अत्यधिक संख्या में होना चाहिए। क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या में होने के कारण कोई भी एक क्रेता अथवा विक्रेता अपने कार्य से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता हो ② उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। इनकी गतिशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ③ बाजार का पूर्ण-पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्णप्रतियोगिता के अन्तर्गत क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बाजार में कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए अधिक मूल्य नहीं दे सकता और कोई भी विक्रेता प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। ④ पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में वस्तु के गुण तथा वजन में एकरूपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वस्तु के रूप एवं गुण में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ⑤ पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति रहनी चाहिए। अर्थात् पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

P.T.O — क्रमशः